न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
27 / 24	136 LR Act	हरिपुरा	बारां

प्रार्थीया	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
भरोषी बाई	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :– वकील:–

आदेश पत्रक

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
05.12.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27/12/24 को पेश हो।	
27-12-24	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 12-2-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
10/01/25	पत्रावली तलब किये जाने पर पेश हुई। ~~वकील~~ प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र बाबत वाद की शीघ्र सुनवाई हेतु पेश किया। जो स्वीकार किया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाबत जवाब TDR दिनांक 13/01/25 को पेश हो	
13/01/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया उप0। पैरोकार सरकार उप0 TDR बाबत के रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल रही। बहस प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो।	
17/01/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया उप0। ~~प्रार्थीया~~ प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। जारि निर्णय की प्रति माल अधि0 तहसीलदार, बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] होकर नक्शा के बाद [illegible] बाद तामील रिकॉर्ड में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।	

निर्णय वइजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 27 / 24
दायरा दिनांक :– 05.12.2024
निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

उनवान

1. भरोषी बाई आयु 72 साल पत्नि श्री कालूलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा ग्राम हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0

प्रार्थीया–

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्डरेवेन्यु एक्ट वास्ते
राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु
निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

प्रार्थीया द्वारा पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्डरेवेन्यु एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया ग्राम हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 की रहने वाली है। प्रार्थीया के ग्राम हरिपुरा में स्थित सामलाती कब्जे व काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 16 और पुराना खाता संख्या 15 की खसरा नं0 234 रकबा 5.55 हे0, खसरा नं0 238 रकबा 1.18 हे0, खसरा नं0 308 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 377 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 441 रकबा 5.02 हे0, खसरा नं0 505 रकबा 1.58 हे0, कुल किता 6 रकबा 13.67 हे0 व ग्राम बटावदा तहसील व जिला बारां राज0 में प्रार्थीया के सामलाती कब्जे व काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 30 व पुराना खाता संख्या 34 की खसरा नं0 155 रकबा 1.62 हे0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया के हिस्सा 1.5 है जो वादपत्र की विषयवस्तु है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्राथीया का नाम गलती से भरोषी बाई पत्नि श्री कालूलाल के स्थान पर घर का नाम रामभरोषी पत्नि श्री कालूलाल दर्जकर दिया गया है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया है। जो गलत नाम है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम भरोषी बाई पत्नि श्री कालूलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओं का लाभ व अपने खाते व हिस्से की आराजियात पर के.सी.सी ऋण भी नही उठा पा रही है। तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये प्रार्थीया पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामभरोषी के स्थान पर भरोषी बाई पत्नि कालूलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। क्योकि प्रार्थीया के आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम भरोषी बाई पत्नि कालूलाल दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया किन्तु प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में रामभरोषी के स्थान पर भरोषी बाई दर्ज नही किया तथा प्रार्थीया ने अपने खाते व हिस्से की आराजियात पर ऋण हेतु पत्रावली बैक में प्रस्तुत की तो बैक द्वारा प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम व आधार कार्ड में नाम मिलान ना होने के कारण के.सी.सी बनने से मना कर दिया तथा कहा कि राजस्व रिकार्ड में अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार दर्ज कराकर लाओं तभी के.सी.सी. जारी होगी। प्रार्थीया ग्राम हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 की निवासी है तथा आराजी भी ग्राम हरिपुरा व बटावदा में स्थित है। इसलिये न्यायालय श्रीमान को डक्त कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है। कार्यवाही उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी के विरुद्व निम्न आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित ग्राम हरिपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 16 और पुराना खाता संख्या 15 की खसरा नं0 234 रकबा 5.55 हे0, खसरा नं0 238 रकबा 1.18 हे0, खसरा नं0 308 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 377 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 441 रकबा 5.02 हे0, खसरा नं0 505 रकबा 1.58 हे0 कुल किता 6 रकबा 13.67 हे0 व ग्राम बटावदा तहसील व जिला बारां राज0 में प्रार्थीया के सामलाती कब्जे काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 30 व पुराना खाता संख्या 34 की खसरा नं0 155 रकबा 1.62 हे0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया के हिस्सा 1.5 हे0 प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम रामभरोषी पत्नि कालूलाल जाति मीना के स्थान पर भरोषी बाई पत्नि कालूलाल निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बटवदा सम्वत 2071—74 खाता संख्या नया 30, पुराना खाता संख्या 34 खसरा संख्या 155, नकल जमाबन्दी ग्राम हरिपुरा सम्वत 2070—73 खाता संख्या 16, पुराना 15, खसरा संख्या 234, 238, 308, 377, 441, 505, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेश किया।

बहस प्रार्थीया सुनी गयी बहस के दोरान प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीया का कथन है कि कि प्रार्थीया ग्राम हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 की रहने वाली है। प्रार्थीया के ग्राम हरिपुरा में स्थित सामलाती कब्जे व काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 16 और पुराना खाता संख्या 15 की खसरा नं0 234 रकबा 5.55 हे0, खसरा नं0 238 रकबा 1.18 हे0, खसरा नं0 308 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 377 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 441 रकबा 5.02 हे0, खसरा नं0 505 रकबा 1.58 हे0, कुल किता 6 रकबा 13.67 हे0 व ग्राम बटावदा तहसील व जिला बारां राज0 में प्रार्थीया के सामलाती कब्जे व काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 30 व पुराना खाता संख्या 34 की खसरा नं0 155 रकबा 1.62 हे0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीया के हिस्सा 1.5 है जो वादपत्र की विषयवस्तु है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्राथीया का नाम गलती से भरोषी बाई पत्नि श्री कालूलाल के स्थान पर घर का नाम रामभरोषी पत्नि श्री कालूलाल दर्जकर दिया गया है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया है। जो गलत नाम है। जबकि प्रार्थीया का

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

स्तविक नाम भरोषी बाई पत्नि श्री कालूलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया सरकारी योजनाओं का लाभ व अपने खाते व हिस्से की आराजियात पर के.सी.सी ऋण भी नही उठा पा रही है। तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये प्रार्थीया की आराजियात के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामभरोषी के स्थान पर भरोषी बाई पत्नि कालूलाल जाति मीना निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 दर्ज करवाने का वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। क्योकि प्रार्थीया के आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम भरोषी बाई पत्नि कालूलाल दर्ज है। प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम रामभरोषी पत्नि कालूलाल जाति मीना के स्थान पर भरोषी बाई पत्नि कालूलाल निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां राज0 सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबदी ग्राम बटवदा सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 30, पुराना 34 खसरा संख्या 155 तथा नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदा सम्वत 2070–73 खाता संख्या 16, पुराना 15; खसरा संख्या 234, 238, 308, 377, 441 व 505 प्रार्थीया के सामलाती खाते में दर्ज है। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बटावदा की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 30 पर खातेदार रामभरोसी बाई पत्नि स्व कालूलाल जाति मीणा निवासी हरिपुरा दर्ज है। खातेदार का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड में सही नाम भरोषी बाई दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामभरोषी दर्ज है। ग्रामवासियो से प्राप्त जानकारी अनुसार एवं दस्तावेजों के अनुसार रामभरोषी एवं भरोषी बाई एक ही महिला है। अतः ग्राम बटावदा की खाता संख्या 30 पर दर्ज खातेदार रामभरोषी बाई पत्नि स्व कालूलाल के स्थान पर भरोषी बाई पत्नि स्व कालूलाल किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हरिपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 16, पुराना 15 की खसरा नं0 234, 238, 308, 377, 441 एवं 505 कुल किता 6 रकबा 13.67 हे0 व ग्राम बटावदा तहसील व जिला बारां की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 30 व पुराना 34 की खसरा नं0 155 रकबा 1.62 हे0 में प्रार्थीया का नाम रामभरोसी बाई पत्नि स्व0 कालूलाल के स्थान पर भरोसी बाई पत्नि स्व0 कालूलाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां